



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032023-244632
CG-DL-E-23032023-244632

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1354]
No. 1354]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 23, 2023/चैत्र 2, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 23, 2023/CHAITRA 2, 1945

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2023

का.आ 1407(अ).—केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, एथिलीन ग्लाइकोल (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2022 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम एथिलीन ग्लाइकोल (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. एथिलीन ग्लाइकोल (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2022 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) यह 28 जून, 2023 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग (2)]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यां का.आ. 6109(अ), तारीख 28 दिसंबर, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS**(Department of Chemicals and Petrochemicals)****ORDER**

New Delhi, the 23rd March, 2023

S.O. 1407(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order to amend the Ethylene Glycol (Quality Control) Order, 2022, namely:—

1. **Short title and commencement.** – (1) This order may be called the Ethylene Glycol (Quality Control) Amendment Order, 2023.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Ethylene Glycol (Quality Control) Order, 2022, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(2) It shall come into force on the 28th day of June, 2023”.

[F. No. PC-II-46016/6/2020-Tech.CPC-Part(2)]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 6109(E), dated the 28th December, 2022.